दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री ध्रुव गोदारा वादीगण व श्री हीरालाल बिरथलिया प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 , श्री अशोक चिरांणिया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादपत्र में प्रस्तुत साक्ष्य एवं शपथ पत्र एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित होने से स्वीकार किया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:—

प्रश्नगत रकबा में वर्तमान पृविष्ठी को विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड में निम्न अनुसार अमल दरामद किया जावे।

1. चक 7 जेडडब्ल्यूडी के प.न. 106/373 की कुल 25 बीघा, प.न. 107/374 की 2 बीघा कि.न. 4 व 5 व प.न. 107/373 की 25 बीघा कुल 52 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 3,4,9 का 8/9 हिस्सा में ब.हि.ब. हिस्सा बराबर व वादिया संख्या 7 का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. चक 7 जेडब्ल्यू डी के प.न. 107/374 के कि.न. 1 ता 3 , 6 ता 10 की 8 बीघा व प.न. 106/374 की 24 बीघा व चक 3 बीएचएम ए प.न. 88/374 की 7 बीघा व वर्तमान चक 4 बीएचएम के प.न. 96/375 के कि.न. 1 ता 23/1 की कुल 5.225 है. में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
सत्यमेव जयते